संख्या-39/2022/58/22-4-2022-48(30)/2014

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-16 मार्च, 2022

विषय- ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदानित धनराशि से प्रदेश की कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना को संचालित करने हेतु मैनपावर की व्यवस्था जैम पोर्टल पर बिड की गयी कार्यवाही पर क्रयानुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1283/अधु-2/ई-प्रिजन/21-22, दिनांक-11.01.2022 एवं शासन के ई फाईल संख्या-22/4099/16/2021 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या-110/2021/960/22-4-2021-48(30)/2014, दिनांक-22.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-06.01.2022 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदादित धनराशि से प्रदेश की कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना को संचालित करने हेतु मैनपावर की व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-1,73,95,000/- की धनराशि की सीमा में कुल 73 तकनीकी मैनपावर (कारागार मुख्यालय में 02 सहायक प्रोग्रामर तथा 71 जेलों में 1-1 डाटा मैनेजमेंट असिस्टेंट) की 01 व्यवस्था वर्ष की अवधि के लिए गर्वमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (जैम पोर्टर्ल) के माध्यम से किये जाने हेतु धनराशि रू0 1,73,95,000/-(रूपया एक करोड़ तिहत्तर लाख पन्चानवे हजार मात्र) मैसर्स बी0एस0एन0 इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड, लखनऊ के पक्ष में उक्त सीमा तक कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउट सोर्सिंग) के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-18 दिसम्बर, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(4) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-39/2022/58(1)/22-4-2022-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in